आयुक्त, हिन्दू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती प्रशासन विभाग, मद्रास

बनाम

श्रीमती पी.एस. सेतुरथिनम

2 फरवरी, 1999

[एस. राजेन्द्र बाबू तथा एम.बी. शाह, न्यायमूर्तिगण]

हिन्दू विधि :

तमिलनाडु हिन्दू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम, 1959 : धारा 45(3) तथा धारा 64(5), धारा 118 के साथ पठित।

दीवानी न्यायालय द्वारा विरचित योजना—का उपांतरण—उप आयुक्त की शक्ति—उप आयुक्त ने धारा 45(3) के अधीन कार्य करते हुए एक मंदिर के संबंध में जिला न्यायालय द्वारा विरचित योजना का उपांतरण किया—की वैधता—अभिनिर्धारित किया : टी. लक्ष्मीकुमार तातायारियार के वाद में निर्णय के दृष्टिगत, अब पक्षकारों के लिए यह तर्क करना खुला नहीं है कि उप आयुक्त को दीवानी न्यायालय द्वारा विरचित योजना का उपांतरण करने की धारा 64(5) के अधीन कोई क्षेत्राधिकार नहीं है—आगे, शक्ति का प्रयोग धारा 45 के अधीन नहीं किया जा सकता, बल्कि केवल धारा 64(5) के अधीन, धारा 118 के साथ पठित, किया जा सकता है—अतः, कार्यवाही नवीन विचारार्थ उप आयुक्त को प्रतिप्रेषित की जाती है।

हिन्दू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग के उप आयुक्त ने, तमिलनाडु हिन्दू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम, 1959 की धारा 45(3) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तरदाता द्वारा प्रबंधित एक मंदिर के संबंध में जिला न्यायालय द्वारा विरचित योजना का उपांतरण किया। तथापि, उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अधिनियम की धारा 64(5) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में दीवानी न्यायालय द्वारा निर्धारित योजना का उपांतरण करने की कोई क्षेत्राधिकार उप आयुक्त को नहीं थी। अतः, यह अपील।

निम्नलिखित प्रश्न इस न्यायालय के समक्ष उत्पन्न हुआ :—

क्या अधिनियम के अधीन आयुक्त अथवा उप आयुक्त को अधिनियम की धारा 64(5), धारा 118 के साथ पठित, के अधीन दीवानी न्यायालय द्वारा विरचित योजना का उपांतरण करने की शक्ति है?

अपील को आंशिक रूप से अनुज्ञात करते हुए, इस न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया : 1. *टी. लक्ष्मीकुमार तातायारियार* के वाद में निर्णय के दृष्टिगत, अब पक्षकारों के लिए यह तर्क करना खुला नहीं है कि तमिलनाडु हिन्दू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम, 1959 की धारा 64(5) के अधीन अपनी शक्ति के प्रयोग में उप आयुक्त को दीवानी न्यायालय की डिक्री के अनुसरण में विरचित योजना का उपांतरण करने की कोई अधिकारिता नहीं है। आगे, योजना का उपांतरण करते हुए शक्ति का प्रयोग अधिनियम की धारा 45 के अधीन नहीं किया जा सकता था, बल्कि ऐसी शक्ति का प्रयोग केवल अधिनियम की धारा 64(5), धारा 118 के साथ पठित, के उपबंधों के अनुसार किया जा सकता था। अतः, कार्यवाही नवीन विचारार्थ उप आयुक्त को प्रतिप्रेषित की जाती है। [335-डी-ई]

टी. लक्ष्मीकुमार तातायारियार बनाम आयुक्त, एच.आर.सी.ई., **[1998] 6 एस.सी.सी. 643, पर अवलंबन किया गया।**

ओ. राधाकृष्णन बनाम मणिकम, **(1974) (II) एम.एल.जे. 179, का उल्लेख किया गया।**

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार : 1991 की दीवानी अपील सं. 1379

1981 की डब्ल्यू.ए. सं. 165 में मद्रास उच्च न्यायालय के दिनांक 8.7.87 के निर्णय तथा आदेश से।

टी. हरिश कुमार, वी. कृष्णमूर्ति, वी. राम सुब्रमण्यम तथा ए. मारिअर्पुतम, अपीलकर्ताओं की ओर से।

टी.एल. राम मोहन तथा आर. अय्यम पेरुमल, उत्तरदाता की ओर से।

न्यायालय का निर्णय निम्नांकित द्वारा प्रदत्त किया गया :

राजेन्द्र बाबू, न्यायमूर्ति हिन्दू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग के उप आयुक्त ने, तमिलनाडु हिन्दू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम, 1959 (1959 का तमिलनाडु अधिनियम 22), जिसे इसमें आगे "अधिनियम" कहा गया है, की धारा 45(3) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 10 फरवरी, 1965 को चिंगलपुट जिले के पेरियापालयम ग्राम स्थित श्री भवानी अम्मन मंदिर के संबंध में योजना का उपांतरण करने वाला एक आदेश पारित किया, जो चिंगलपुट के जिला न्यायालय द्वारा 1949 की ओ.एस. सं. 2 में 13 दिसंबर, 1949 को विरचित की गई थी। उक्त मंदिर के प्रबंध न्यासी ने वैधानिक प्राधिकारियों के समक्ष अपीलें तथा पुनरीक्षण याचिकाएँ दाखिल कीं, किन्तु असफल रहा। तत्पश्चात, उसने अधिनियम के अधीन प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेशों को अपास्त करने के लिए 1969 की ओ.एस. सं. 74 के रूप में एक वाद दाखिल किया। दो अन्य वाद, अर्थात् 1969 की ओ.एस. सं. 81 तथा 1969 की ओ.एस. सं. 74 भी दाखिल किए गए। सभी वादों का निर्णय कांचीपुरम के अवर न्यायाधीश द्वारा 2 फरवरी, 1972 को दिए गए अपने निर्णय द्वारा किया गया, जिसमें वैधानिक प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेशों का उपांतरण किया गया तथा वाद को सीमित सीमा तक डिक्री किया गया। उच्च न्यायालय में एक अपील अधिमान्य की गई। हिन्दू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती बोर्ड के आयुक्त ने भी उस सीमा तक एक अपील दाखिल की, जिस सीमा तक अवर न्यायाधीश ने प्रबंध न्यासी के पक्ष में वाद को डिक्री किया था। इन दोनों अपीलों की सुनवाई अन्य अपीलों के साथ की गई और *ओ. राधाकृष्णन तथा एक अन्य बनाम मणिकम तथा अन्य*, (1974) II एम.एल.जे. 179 में न्यायालय के निर्णय का अनुसरण करते हुए, उच्च न्यायालय ने यह दृष्टिकोण ग्रहण किया कि अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने वाले उप आयुक्त को धारा 64(5) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में दीवानी न्यायालय द्वारा निर्धारित योजना का उपांतरण करने की कोई क्षेत्राधिकार नहीं थी। परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय ने श्री भवानी अम्मन मंदिर के संबंध में योजना का

उपांतरण करने वाले उप आयुक्त तथा अपील में आयुक्त के आदेशों को अपास्त कर दिया। तत्पश्चात, आयुक्त ने 24 जून, 1978 की कार्यवाही में उक्त मंदिर के कार्यपालक पदाधिकारी तथा वंशानुगत न्यासी की शक्तियों तथा कर्तव्यों को परिभाषित किया और उसे चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दाखिल की गई। इस विषय की सुनवाई करने वाले विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह पाया कि विषय उन्हीं पक्षकारों के मध्य 1973 की ए.एस. सं. 272 में न्यायालय के पूर्व निर्णय द्वारा पूर्णतः आच्छादित था; कि विषय उसमें दिए गए निर्णय द्वारा अंतिम रूप से निर्धारित हो चुका था और इसलिए आयुक्त के लिए योजना का उपांतरण करना अब खुला नहीं था। तत्पश्चात, विद्वान एकल न्यायाधीश ने योजना के उपबंधों तथा उच्च न्यायालय के समक्ष आक्षेपित कार्यवाही में किए गए आदेश की तुलना की और यह पाया कि वे योजना के उपबंधों के साथ सारवान विशिष्टियों में असंगत थे और इसलिए उसका यह दृष्टिकोण था कि उनका केवल यही प्रभाव था कि पूर्व कार्यवाही में न्यायालय द्वारा किए गए आदेश का परिहार किया जाए और उसी आधार पर उसने प्रश्नगत आदेश को अभिखंडित कर दिया। आयुक्त द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध दाखिल अपील पर यह अभिलक्षित किया गया कि धारा 65 के उपबंध आयुक्त को न्यायालय द्वारा विरचित योजना का उपांतरण करने में सक्षम नहीं बनाते। यद्यपि न्यायालय द्वारा विरचित योजना का उपांतरण करने में आयुक्त की असमर्थता व्यक्त की गई, तथापि यह स्पष्ट कर दिया गया कि यदि कोई योजना उप आयुक्त द्वारा विरचित की गई हो अथवा पूर्ववर्ती अधिनियम के अधीन कोई योजना विरचित की गई हो, तो आयुक्त उसके संबंध में कार्य कर सकता है। इस प्रकार, खंडपीठ का यह दृष्टिकोण था कि दीवानी न्यायालय द्वारा विरचित योजना का उपांतरण आयुक्त द्वारा नहीं किया जा सकता और उसी आधार पर उसने रिट अपील को निरस्त कर दिया। उच्च न्यायालय के इस दृष्टिकोण को चुनौती देते हुए यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दाखिल की गई है।

विचारार्थ प्रश्न यह है कि क्या आयुक्त अथवा उप आयुक्त को अधिनियम की धारा 64(5), धारा 118 के साथ पठित, के अधीन दीवानी न्यायालय द्वारा विरचित योजना का उपांतरण करने की शक्ति अधिनियम के अधीन प्राप्त है। इस प्रश्न का प्रत्यक्ष उत्तर इस न्यायालय द्वारा *टी. लक्ष्मीकुमार तातायारियार बनाम आयुक्त, एच.आर.सी.ई. तथा अन्य*, [1998] 6 एस.सी.सी. 643 में दिया गया है। इस निर्णय में, इस न्यायालय ने अधिनियम की योजना का परीक्षण करने के पश्चात यह दृष्टिकोण ग्रहण किया है कि अधिनियम की धारा 64 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने वाला उप आयुक्त किसी योजना का उपांतरण कर सकता है और इसमें दीवानी न्यायालय द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 92 के अधीन विरचित योजना का उपांतरण भी सम्मिलित है। अतः, *ओ. राधाकृष्णन तथा एक अन्य बनाम मणिकम तथा अन्य* (उपर्युक्त) में ग्रहण किया गया दृष्टिकोण, इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित करते हुए अधिरोहित कर दिया गया है कि उसमें किया गया विधि का निर्वचन सही नहीं है। इसलिए, अब पक्षकारों के लिए यह तर्क करना खुला नहीं है कि अधिनियम की धारा 64(5) के अधीन अपनी शक्ति के प्रयोग में उप आयुक्त को दीवानी न्यायालय की डिक्री के अनुसरण में विरचित योजना का उपांतरण करने की कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। अतः, अपीलाधीन निर्णय को बनाए नहीं रखा जा सकता।

तथापि, उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता ने हमारा ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट किया कि वर्तमान वाद में उप आयुक्त द्वारा प्रयोग की गई शक्ति अधिनियम की धारा 45 के अधीन कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्तियाँ करते समय प्रयोग की गई शक्ति है, जो मंत्रणालयी प्रकृति की है। आदेश में उल्लिखित विभिन्न उपबंध, जिन्हें उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी, योजना के साथ असंगत होने के कारण तब तक बने नहीं रह सकते थे जब तक योजना का उपांतरण न कर दिया जाए। अतः, वाद में अपनाया जाने वाला उपयुक्त मार्ग यह स्पष्ट करना है कि योजना का उपांतरण करते हुए शक्ति का प्रयोग अधिनियम की धारा 45 के अधीन नहीं किया जा सकता था, बल्कि ऐसी शक्ति का प्रयोग

केवल अधिनियम की धारा 64(5), धारा 118 के साथ पठित, के उपबंधों के अनुसार किया जा सकता था। इसलिए, हम उप आयुक्त द्वारा किए गए आदेश को अभिखंडित करने वाले उच्च न्यायालय द्वारा किए गए आदेश के उस भाग को इस उपांतरण के साथ उपधारित करते हैं कि कार्यवाही विषय के नवीन विचारार्थ उप आयुक्त को प्रतिप्रेषित मानी जाएगी, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा *टी. लक्ष्मीकुमार तातायारियार बनाम आयुक्त, एच.आर.सी.ई. तथा अन्य* (उपर्युक्त) में उद्घोषित विधि के आलोक में तथा जैसा कि हमारे द्वारा इस आदेश के दौरान कथित किया गया है।

तदनुसार, हम आदेश करते हैं। वाद की परिस्थितियों में, व्ययों के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

वी.एस.एस. अपील आंशिक रूप से अनुज्ञात।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यावहारिक, कार्यालयीय, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।